



2286710

2286709

**राज्य नगरीय विकास अमिकरण**

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

e-mail : pmusuda@gmail.com

दिनांक- 18/9/14

पत्रांक- 2155 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001 (ईएसटीपी)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अमिकरण  
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त

नगर निगम

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,  
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद एवं मेरठ।

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ,  
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चदौंसी, फिरोजाबाद,  
शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद,  
फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज,  
लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत,  
रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत,  
बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वा, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर,  
बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद  
(संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबटसगंज (सोनभद्र) / अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही),  
चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं  
सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई.एस.टी. एण्ड पी.) के अन्तर्गत लाभार्थियों/ प्रशिक्षु  
चयन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं  
सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई.एस.टी. एण्ड पी.) अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण  
प्रदान किया जाना है ताकि उनकी आजीविका में स्थाई सुधार हो सके। ई.एस. एण्ड पी. का  
उद्देश्य बाजार की कौशल संबंधी मांग के अनुसार शहरी गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि  
वे स्वरोजगार द्वारा उद्यम स्थापित कर सकें अथवा वेतन युक्त स्थाई रोजगार प्राप्त कर सकें।

जागरूकता निर्माण और प्रशिक्षणार्थी चयन में निम्नांकित बातों का ध्यान रखें-

- प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रशिक्षणार्थी शहरी गरीब परिवार से होना चाहिये।
- एस.जे.एस.आर.वाई/ एन.यू.एल.एम. के अन्तर्गत किसी भी ट्रेड में पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हो।

- एस.सी. और एस.टी. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या शहरी की कुल आबादी में अनुपात के अनुसार होनी चाहिये।
- न्यूनतम 30% महिलाएं।
- न्यूनतम 20% अल्पसंख्यक समुदाय का मात्राकरण (शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013- सा(30)/13, दिनांक 24.08.2013 के अनुसार)।
- न्यूनतम 3% विकलांगजन।
- यू.एल.बी./सी.एम.एम.यू./डूडा द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, टी0वी0, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग, एस.एच.जी. बैठकों आदि के माध्यम से नियमित वृहद जागरूकता अभियान चलाकर सम्भावित प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाये।
- कौशल विकास प्रशिक्षण विषयक सूचनाएं- विषय, अवधि, प्रशिक्षण का स्थान, कौशल प्रदायता का नाम और विवरण से संबंधित सूचनाएं यू.एल.बी./सी.एम.एम.यू./डूडा, शहरी आजीविका केन्द्र और सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य नगरीय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक संभावित प्रशिक्षुओं से एक सादे कागज पर अभ्यर्थी के बुनियादी विवरण जैसे- नाम, आयु, सम्पर्क विवरण, जिस ट्रेड/विषय पर प्रशिक्षण चाहता हो और आधार कार्ड संख्या या अन्य पहचान पत्र आदि के विवरण सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने का आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिये। सम्भावित प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भौतिक रूप से अथवा मेल द्वारा या डाक द्वारा भी जमा कर सकते हैं।
- उक्त आवेदन के आधार पर सम्भावित प्रशिक्षु का पंजीकरण करते हुए आवेदनकर्ता को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी किया जाये।
- प्राप्त आवेदनों के आधार पर सम्भावित प्रशिक्षुओं की विशेष प्रशिक्षण मांग के आधार पर ट्रेड/ सेक्टर वार प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाये। इस प्रकार के आवेदन पत्र सम्पूर्ण वर्ष यू.एल.बी./ सी.एम.एम.यू. / डूडा द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
- यू.एल.बी./ सी.एम.एम.यू./ डूडा को सुनिश्चित करना होगा की सूचीबद्ध सम्भावित प्रशिक्षणार्थी को प्रतीक्षा सूची में नाम होने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने, प्रशिक्षण केन्द्र का विवरण, पात्रता मानक, प्रशिक्षण की अवधि की सूचना, एस.एम.एस., पत्र, सार्वजनिक सूचना, स्वयं सहायता समूह एवं ए.एल.एफ. के माध्यम से प्राप्त हो जाये।
- प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त प्रशिक्षुओं हेतु प्रारम्भिक बैठक के माध्यम से "सलाह-सत्र" का आयोजन किया जायेगा। जिसमें सम्भावित प्रशिक्षुओं को उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अर्हता मानकों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया जायेगा।
- उक्त सलाह-सत्र में प्रशिक्षुओं से सामान्य जानकारी पर आधारित आवेदन फार्म/ प्रपत्र भरवाया जायेगा। जिसमें प्रशिक्षु से संबंधित समस्त सूचनायें जैसे कि शैक्षिक योग्यता, बी. पी.एल. स्थिति, निवास स्थान का पता तथा अन्य विवरण आदि एकत्रित किये जायेंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जायेगा।



- यू.एल.बी./सी.एम.एम.यू./ डूडा को स्लमों में मासिक जॉब सेवायोजन मेला, रोजगार मेला आदि के आयोजन कर सम्भावित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की सूचना उपलब्ध करानी चाहिये।

उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु सम्भावित प्रशिक्षणार्थियों के चयन की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ कर दी जाये, ताकि सम्भावित प्रशिक्षणार्थियों की सूची तैयार हो सके। इस सूची को तैयार करते समय शहर में स्थानीय स्तर पर कौशल/ट्रेड की मांग और आवश्यकता का ध्यान रखा जाये ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षुओं को वेतनपरक रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध होना संभव हो सके।

सम्भावित प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु एक माडल आवेदन पत्र का प्रारूप इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रपत्र को संशोधित कर लाभार्थी चयन का कार्य त्वरित गति से कराया जाय व सूची प्रेषित की जाय।


संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, समस्त नगर निगम उ0 प्र0।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को संलग्नक सहित सूडा की वेबसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर अपलोड करने हेतु।

  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
मिशन निदेशक

एन.यू.एल.एम. के घटक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार (ई.एस.टी.एण्ड पी.)  
के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु  
आवेदन पत्र

डूडा - .....

शहर का नाम - .....

ट्रेड का नाम जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं :- .....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :- .....

2. पिता/पति का नाम :- .....

3. जन्म तिथि/आयु (प्रतिलिपि संलग्न करें) :- .....

4. लिंग :- स्त्री/पुरुष - .....

5. वैवाहिक स्थिति :- विवाहित/अविवाहित - .....

6. वर्तमान पता :- मोहल्ला :- .....

वार्ड (नाम और नम्बर) :- .....

नगर निकाय का नाम :- .....पिन कोड :- .....

थाना :- .....जनपद :- .....

7. फोन/मोबाईल नं० :- .....ई-मेल :- .....

8. आधार कार्ड न०/वोटर कार्ड/अन्य (प्रतिलिपि संलग्न करें) :- .....

9. बैंक एकाउन्ट न०, बैंक का नाम (यदि है तो)(प्रतिलिपि संलग्न करें) :- .....

10. बी०पी०एल०/राशन कार्ड क्रमांक/आय प्रमाण पत्र :- (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें):- .....

(परिवार के मुखिया का नाम तथा आवेदक का उससे संबंध).....

11. आरक्षित श्रेणी का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न करें) - वर्ग/जाति :- .....

अल्पसंख्यक :- हों/नहीं - यदि हों तो विवरण दे - .....

यदि विकलांगता है तो विवरण दे :- (प्रतिलिपि संलग्न करें) - .....

12. शैक्षणिक योग्यता (प्रतिलिपि संलग्न करें) :- .....

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित सारी सूचनाएँ सही हैं, भविष्य में उपर्युक्त सूचना में से कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मेरे प्रशिक्षण पर हुए व्यय की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र है। मैं यह भी शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि मैं पिछले 3 वर्षों में एस.जे.एस.आर.वाई./एन.यू.एल.एम. के तहत प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। मैं किसी एक ही व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम और हस्ताक्षर दिनांक सहित :-

(पूर्ण नाम और अहस्ताक्षरित फार्म निरस्त माना जाएगा)

कार्यालय प्रयोग हेतु

आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि :-

आवेदन पत्र संख्या :-

प्रशिक्षु का यूनिट रजिस्ट्रेशन नम्बर :-

सी.पी.ओ./पी०ओ०/ए०पी०ओ० (सी.एम.एम.यू.)